संख्या-14 /2026/I/1269012/2026/11-4099/11/2026

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनो तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के **मानक मद 29-अनुरक्षण** में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/पुर्नविनियोजन/2025-2026/740/राज्य कर, दिनांक 18.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 03-मंहगाई भत्ता में सम्भावित बचत में से राजस्व लेखाशीर्षक 2059-01-051-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनो तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण में रू0 1442.57 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 2059-01-051-03-वाणिज्य कर विभाग के **विभागीय भवनों तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण मद** में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 1442.57 लाख (रु0 चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति **(संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसा**र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 14,42,57,000 (रुपये चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र**) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2059010510300 वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20252026-11-4099-11-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनो तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य-29 अनुरक्षण में प्राविधिक धनराशि से पुर्नविनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था / स्वीकृति प्रदान कराने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	03 (मंहगाई भत्ता)	3,75,00,00,000 रुपये तीन अरब पचहत्तर करोड़ मात्र	24,32,57,000 रुपये चौबीस करोड़ बत्तीस लाख सत्तावन हजार मात्र	14,42,57,000 रुपये चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र	14,42,57,000 रुपये चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र	3,60,57,43,000 रुपये तीन अरब साठ करोड़ सत्तावन लाख तैंतालीस हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 14,42,57,000	₹ 14,42,57,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2059010510300 (वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य)	29 (अनुरक्षण)	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	14,42,57,000 रुपये चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र	14,42,57,000 रुपये चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र	29,42,57,000 रुपये उनतीस करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 14,42,57,000	₹ 14,42,57,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान सख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान की मानक मद 03- मंहगाई भत्ता रू०

5000.00 लाख (रूपये पंचास करोड़ मात्र) की बचत होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

मद संख्या-29 अनुरक्षण

प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रू0 1500.00 लाख (रू0 पंद्रह करोड मात्र) का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय हो चुकी है। राज्य कर विभाग के कतिपय कार्यालय भवनो की जीर्ण स्थिति के दृष्टिगत उक्त मद में धनराशि की मॉग की जा रहीं है।

(3) प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-459-E-9-391-X-2025-26-दिनांक: 10-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/ जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अरविन्द सिंह
उप सचिव।